(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3,उपखंड **(i)** मेंप्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद - शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचनासं. 47/2017-केंद्रीय कर

नईदिल्ली,तारीख18 अक्तूबर,2017.

सा.का.नि. ---- (अ) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम 2017 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 में,
(i) नियम 89 के उप नियम (1) में, तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि समझे गए निर्यातों के रुप में मानी गई पूर्तियों की बाबत, आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा सकेगा, --
(क) समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्रापतिकर्ता ; या
(ख) उन मामलों में जहां प्रापतिकर्ता ऐसी पूर्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लेता है और इस आशय का वचनबंध देता है कि पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा, वहां समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकर्ता";

(ii) नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) में,"तीन मास की समापति के पश्चात्" शब्दों के पश्चात्,"या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii)**प्ररुप जीएसटी आरएफडी – 01 में,**

(क) "विवरण 2" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-

"विवरण 2 [नियम 89 (2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार :- कर के संदाय के साथ सेवाओं का निर्यात

(रकम रुपयों में)

क्रम सं.	बीजक ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बीआरसी/ एफआईआरसी		नामे नोट, यदि कोई हो, में अंतवर्लित एकीकृत कर और उपकर	जमापत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											।"

(ख) "विवरण 4" के स्थान पर निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,अर्थात् :-

"विवरण 4 [नियम 89 (2) (घ) और 89 (2) (ड.)]

प्रतिदाय का प्रकार -- विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को की गई पूर्तियों के मद्दे

(रकम रुपयों में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन्	**बीजक ब्यौरे**			**पोतपरिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन पृष्ठांकित बीजक**		**एकीकृत कर**		**उपकर**	**नामे नोट यदि कोई हो, में अंतवर्लि एकीकृत कर और उपकर**	**जमा पत्र, यदि कोई हो, में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर**	**शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10 – 11)**
	सं.	**तारीख**	**मूल्य**	**सं.**	**तारीख**	**कराधेय मूल्य**	**रकम**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
											."

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3,उपखंड **(i)** में अधिसूचना सं. 3/2017 तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जो सा.का.नि. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार सा.का.नि. 1251(अ)

तारीख 13 अक्तूबर 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 45/2017 केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था ।